10रु. COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES | 10रु. COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES | 10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

निग – 2713–PBR–16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–गुना

1– मिथलेश बाई पुत्री श्री लालाराम कोरी

2– निर्मला बाई पुत्री श्री लालाराम कोरी

3– ममता बाई पुत्री श्री लालाराम कोरी
निवासी–कमलागंज घोसीपुरा शिवपुरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

2– प्रेमसिंह पुत्र श्री माधो सिंह रघुवंशी
निवासी – देहरी खुर्द तहसील आरोन जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–2713–पीबीआर/2016 जिला–गुना

मिथलेश बाई आदि विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्र.क्र. 02/स्व–निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/5/19 सदस्य	